रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1999/माघ 19, 1920
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1999/MAGHA 19, 1920

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 72 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर संचार विनियामक (प्राधिकरण को आवेदन फाइल करने के लिए अवधि) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनका वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम में समनुदेशित है।

3. आवेदन फाइल करना—

यदि सेवा प्रदाताओं के बीच या सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच—

(क) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और अन्त:संबंध;

(ख) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच आमदनी बांटने;

(ग) दूर संचार सेवा की क्वालिटी और उपभोक्ताओं के हित से संबंधित मामलों की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो व्यथित व्यक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राधिकरण को उस तारीख से जिसको ऐसा हेतुक उत्पन्न होता है, छह मास के भीतर कर सकेगा :

परन्तु प्राधिकरण छह मास की उक्त अवधि के पश्चात् भी किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।

[सं. 2-8/98-रेगुल.]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव